

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाइडलाईन/2019/  
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक:

29 JUL 2021

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों द्वारा 100 दिवस के रोजगार की एक साथ मांग हेतु संशोधित आवेदन पत्र/प्रपत्र -6 बाबत।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भास/माद/18-19 दिनांक 09.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग एवं पावती रसीद संबंधी निर्देश जारी किये गये थे एवं आवेदन हेतु फार्म न. 6 का प्रारूप भेजा गया था। योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को 100 दिवस के रोजगार की एक साथ मांग करने हेतु व्यक्तिगत अथवा समूह आवेदन के लिए आवेदन फार्म प्रपत्र - 6 का संशोधित प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है।

इस प्रपत्र से न केवल श्रमिकों को उनकी मांग की समुचित पावती सुनिश्चित होगी, अपितु जिला स्तर पर भी मास अनुसार पहले से श्रमिक संख्या अनुसार कार्य निर्धारण में भी सुविधा होगी। उचित होगा कि इसमें शिविर लगाकर एक साथ ही आवेदन ले लिया जाये, ताकि श्रमिक अपनी इच्छानुसार एक साथ ही साल भर के लिए आवेदन दे सकें। इसमें यह प्रपत्र श्रमिक के लिए वैकल्पिक होगा तथा वह अपनी इच्छानुसार कभी भी संशोधन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

कृपया आवेदन प्राप्त होने पर श्रमिकों को एक साथ 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की मांग एमआईएस पर दर्ज करावें तथा उन्हें आवश्यक रूप से दिनांकित रसीद उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही वर्ष भर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्य की मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजनान्तर्गत पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत करावें। संशोधित प्रपत्र-6 की प्रति विभाग द्वारा चिन्हित सभी स्थानों पर उपलब्ध करावें तथा इस संबंध में जन प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, एनजीओ तथा स्वयं सहायता समूहों की मदद से प्रचार-प्रसार करावें तथा अकुशल श्रमिकों को नवीन प्रपत्र-6 में रोजगार की मांग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अभिषेक भगोतिया)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

28/7/21

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान  
कार्य के लिए आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष .....  
(100 दिवस के लिए व्यक्तिगत/समूह आवेदन पत्र)

जिला..... पंचायत समिति..... ग्राम पंचायत..... ग्राम.....

व्यक्तिगत/समूह आवेदन :

क्र. सं.	व्यक्तिगत/समूह में कार्य मांगने वाले व्यक्तियों के नाम	मुखिया का नाम	जॉबकार्ड न.
1			
2			
3			
4			
5			

कार्य मांगने की अवधि:

माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा	
	प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय
अप्रैल			अगस्त			दिसम्बर		
मई			सितम्बर			जनवरी		
जून			अक्टूबर			फरवरी		
जुलाई			नवम्बर			मार्च		

दिनांक :-

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी आवेदक .....  
नाम .....

हस्ता० सरपंच/ग्रा० वि० अधिकारी/  
ग्रा० रो० सहायक/क० सहायक/वार्ड पंच

- नोट :- 1. संबंध कौलम में (✓) अंकित करें। यदि किसी भिन्न तिथि को कार्य चाहते हैं, तो उसमें तिथि अंकित कर दें।  
2. वर्ष में 100 दिन कार्य हेतु कम से कम 8 पखवाड़े तक काम की माँग करें।

रसीद

क्र.सं.	व्यक्तिगत/समूह में कार्य मांगने वाले व्यक्तियों के नाम	जॉबकार्ड न.
1		
2		
3		
4		
5		

निम्न व्यक्ति/समूह का महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार मांगने का निम्नांकित पखवाड़ा अवधि /दिन ..... का आवेदन पत्र (प्रपत्र 6) दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा	
	प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय
अप्रैल			जुलाई			अक्टूबर		
मई			अगस्त			नवम्बर		
जून			सितम्बर			दिसम्बर		

हस्ता० सरपंच/ग्रा० वि० अधिकारी/  
ग्रा० रो० सहायक/क० सहायक/वार्ड पंच